

अ. डि. प्ररूप -19

(अभिन्यास डिज़ाइन के ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा जिसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, उसके रजिस्ट्रीकरण के भाग रूप में भारत में तामील के लिए पते की प्रविष्टि या परिवर्तन या प्रतिस्थापन करने के लिए अनुरोध का प्ररूप) (नियम 62,67,68)

-----1 के द्वारा जो अभिन्यास डिज़ाइन संख्या -----का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी /रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता है 2 भारत में तामील के लिए पते या उस की प्रविष्टि का इस प्रकार परिवर्णन, परिवर्तन या प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया गया है ताकि भारत में तामील के लिए पता----- पढ़ा जाए ।

आज तारीख -----मास -----20

हस्ताक्षर -----

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन, -----5 पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

टिप्पण : रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता जिसका भारत में तामील के लिए पता किसी लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार परिवर्तित किया गया है परिवर्तित पता से वही परिसर अभिहित है जो पहले था, भी फीस के संदाय से बचने के लिए, एक विवरण दे सकेगा, जिसके लिए इस प्ररूप के पृष्ठ भाग पर उपबंध है ।

(इस प्ररूप के पृष्ठ भाग पर होगा)

(केवल उस दशा में प्रयोग किया जाए जब लोक प्राधिकारी ने परिसर में परिवर्तन के बिना ही भारत में तामील के लिए पता परिवर्तित कर दिया है)

भारत में तामील के लिए पता में परिवर्तन जिसकी प्रविष्टि के लिए इस प्ररूप के मुख्य पृष्ठ पर आवेदन किया गया है आदेश-----6 द्वारा -----तारीख -----मास -----20 को दिया गया था । आदेश की शासकीय प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है ।

आज तारीख -----मास ----- 20

हस्ताक्षर -----

टिप्पण : यदि उपर्युक्त विवरण दिया जाए है और नामित परिवर्तन को आवश्यकत बनाने वाले प्राधिकारी के आदेश है, की शासकीय प्रमाणित प्रति दी जाए, तो यदि रजिस्ट्रार का मामले के तथ्यों से समाधान हो जाता है तो वह अभिन्यास डिज़ाइन प्ररूप सं 19 पर संत्रित की जाने वाली किसी फीस की अपेक्षा नहीं करेगा ।

1. यहाँ अनुरोध करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता लिखे ।
2. यथास्थित 'स्वत्वधारी' या उपयोगकर्ता शब्दों में एक शब्द काट दें ।
3. जो शब्द लागू न हो काट दें ।
4. यहाँ पर संक्षिप्त प्रविष्टि या वांछित परिवर्तित प्रविष्टि लिखें ।
5. परिवर्तन का आदेश देने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और आदेश भी लिखें ।
6. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के के समुचित कार्यालय स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम 4देखे